



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :- एफ2(3)लागत/1042/379

दिनांक : 23/9/13

-: कार्यालय आदेश :-

विषय:- संस्थानिक आवंटन में लीज राशि वसूल करने बाबत।

वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल में संस्थानिक आवंटन में लीज राशि की वसूली आरक्षित दर पर की जा रही है। राज्य सरकार के आदेश संख्या प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 29.8.2006 एवं प.3(220)नविवि/3/2012 दिनांक 31.01.2013 को अनुपालना में संस्थानिक आवंटन के संदर्भ में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. आर.वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, द्वितीय, रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/ जयपुर।
- 5- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/ उदयपुर/कोटा/ अलवर/ बीकानेर।
- 6- संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, रा.आ.म., जयपुर /PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर-I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड, जयपुर/
अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुन्झून/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर /कोटा/ अलवर/पाली/बारां/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
- 8- सहायक लेखाधिकारी वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/ अलवर/ बीकानेर।
- 9- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित फाईल।

(डॉ. सी. चौधरी)
वित्तीय सलाहकार